

कार्यालय कलेक्टर परिवर्तित शाखा रायपुर

सूचना पत्र प्रारूप अ

अपर कलेक्टर रा.का. मामला क. 53 अ-2/वर्ष 2014-15
 अ.वि.अ./रा.का. मामला क. 71 अ-2/वर्ष 2014-15

आदेश दिनांक 11/11/14

प्रति,

आवेदक

श्री/श्रीमती

सिंधानिया बिल्डकॉन प्रा. लि. द्वारा रायपुर में सुबोध

अच्छा/मसि

श्री

सिंधानिया

पिता श्री श्यामलाल

निवासी

हिरापुर रोड रायपुर

ग्राम

हिरापुर

प.ह.न.

103

रा.नि.म.

21452

तहसील

रायपुर

जिला

रायपुर

(छ.ग.)

आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि अकृषि कार्य में परिवर्तित होने के कारण उस पर निम्न अनुसूचित के खण्ड-5 में लिये अनुसार राजस्व निर्धारण हो चुका है। जिसकी यथाविधि पुष्टिकरण हो गई है।

खसरा नंबर आदि	परिवर्तित भूमि का रकबा	पूर्व की राजस्व कृषि भूमि की दर	संशोधित राजस्व अकृषि भूमि का निर्धारण हुआ	राजस्व लगान जो निर्धारित हुआ	निवास, व्यवसाय हेतु निर्धारण किया गया
------------------	---------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------	--

खसरा नंबर 563/1, 596/4, 570, 571, 572, 594 (आवासीय/व्यवसायिक/उद्योग प्रयोजन),

प.ह.न. 103, ग्राम हिरापुर

रकबा वर्गफुट (अंको में) कुल रकबा 76207 वर्गफुट वर्गफीट लगान 9907.20 रुपये का 5 प्रतिशत अधोसंरचना

विकास कर एवं 5 प्रतिशत पर्यावरण उपकर

रकबा (शब्दों में) 76207 वर्गफुट

टीप :- उक्त रकम आपको दिनांक 01.10.2014 से प्रारंभ होने वाले राजस्व वर्ष में एक ही विषय में प्रतिवर्ष तहसीलदार रायपुर को भुगतान करना होगा।

परिवर्तित भूमि का निर्धारण लगान रुपये 9907.20 प्रतिवर्ष की दर से वर्ष 2014-15 तक निम्नानुसार :-

- 1- लगान रुपये 9907.20
- 2- प्रीमियम 106237.20
- 3- अधोसंरचना विकासकर 495.20
- 4- पर्यावरण उपकर 495.20
- 5- पंचायत उपकर 0
- 6- अर्थदण्ड 0

योग राशि रुपये 117134.20 अक्षरी (एक लाख सत्रह हजार दो सौ पचास रुपये केवल)

प्रस्तुत मूल चालान क्रमांक 1532008.7 दिनांक 13/11/14 को भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा रायपुर में जमा किया गया। प्रकरण में धारा 59 (2) के तहत पुनः निर्धारण किया गया। धारा 172(1) के तहत व्यपवर्तन अनुज्ञा नहीं माना जावे।

टीप :- शर्त : आवेदक भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अनावेदक को एक अभिविन्यास अनुमोदन कराकर समस्त विभागों से विधिवत अनुज्ञा प्राप्त करेगा। बिना अनुमति के अन्य प्रयोजनों में उपयोग न किया जावे। बिना अनुमति के उप विभाजन न करने नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय रायपुर छोगो के द्वारा आरोपित शर्तों का पालन किया जावे तथा आवेदक उपर्युक्त निर्दिष्ट समयावधि के भीतर वार्षिक भू-राजस्व जमा करने में विफल होता है तो ऐसा कालावधि की समाप्ति से प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान करने का भी दायी होगा।



अपर कलेक्टर
रायपुर

प्र0क0/ /वाचक/परि0 भूमि/2014

रायपुर दिनांक

प्रतिलिपि :- अनुविभागीय अधिकारी रायपुर को आदेश क्र0/क/परि0म0लि0अ0वि0अ0 दिनांक 18.09.2012 के अनुसार सूचनार्थ।

For, Singhanian Buildcon Pvt. Ltd.

अपर कलेक्टर
रायपुर

Director

Attested

908/22
2148

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2018																	
2019																	
2020																	
2021																	
2022																	
2023																	
2024																	
2025																	
2026																	
2027																	
2028																	
2029																	
2030																	

Amend 27/05/2015

For, Singhania Building Pvt. Ltd.

Director

10

न्यायालय अपर कलेक्टर (परिवर्तित शाखा) रायपुर, (छ.ग.)

सूचना पत्र प्रारूप अ

कले. रा.का.मामला क्र./702 ए-2/वर्ष 2014-15
 आ.वे.अ./रा.का.मामला क्र./4346ए-2/वर्ष 2014-15
 प्रति,

आदेश दिनांक 08.09.2015

मेसर्स सिंघानिया बिल्डकॉन प्रा0लि0, द्वारा डायरेक्टर श्री सुबोध सिंघानिया पिता श्री श्यामलाल सिंघानिया, कार्यालय- श्याम चेम्बर, हीरापुर रोड, रायपुर तहसील व जिला रायपुर, (छ.ग.) द्वारा ग्राम जरवाय उर्फ हीरापुर प0ह0नं0- 103/34 तहसील व जिला-रायपुर (छ.ग.)

आपको सूचित किया जाता है कि निम्नालिखित भूमि अकृषि कार्य में परिवर्तन होने के कारण उस पर निम्न अनुसूचित के खण्ड 5 में लिये अनुसार संशोधित राजस्व निर्धारण हो चुका है। जिसकी यथा विधि पुष्टिकरण हो गई है ख.न. परिवर्तित पूर्व राजस्व संशोधित राजस्व भू-राजस्व जो निवास व्यवसाय हेतु आदि भूमि का कृषि भूमि अकृषि निर्धारित हुआ निर्धारण किया गया रकबा की दर पर निर्धारण हुआ।

खसरा नम्बर:- 565, 567 का भाग, 581/21, 592, 595, 593, 596/3, 567का भाग, 563/1का भाग, 596/4का भाग, ("आवासीय, सुविधाजनक दुकाने एवं व्यवसायिक प्रयोजन हेतु")

प.ह.न. 103/34ग्राम-जरवाय उर्फ हीरापुर प्रयोजन हेतु रकबा वर्ग फुट में (अंको में) 1,03,726व.फु. भू-राजस्व आवसीय प्रयोजन हेतु 11,778=00रूपये, व्यवसायिक कार्यालय सुविधाजनक दुकाने 2494=00रु0,05 प्रतिशत अधोसंरचना विकासकर एवं 5प्रतिशत उपकर, रकबा(शब्दों में):-एक लाख तीन हजार सात सौ छब्बीस वर्गफुट मात्र


टीप: उक्त रकम आपको दिनांक 01.10.2015 से प्रारंभ होने वाले राजस्व वर्ष में एक ही विषय में प्रतिवर्ष तहसीलदार रायपुर, को भुगतान करना होगा।

परिवर्तित भूमि का निर्धारित भू-राजस्व रूपये:- आवासीय प्रयोजन 11,778=00रूपये, व्यवसायिक सुविधाजनक दुकाने प्रयोजन 2494=00रु0 प्रतिवर्ष की दर से वर्ष एवं 2014-15 से निम्नानुसार -

	आवासीय प्रयोजन	व्यवसायिक सुविधाजनक दुकाने
1. भू-राजस्व रूपये	11,778=00 रु0	2,494=00 रु0
2. प्रीमियम	1,68,400=00रु0	30,500=00 रु0
3. अधोसंरचना विकासकर	589=00रु0	125=00 रु0
4. पर्यावरण उपकर	589=00रु0	125=00 रु0
5. पंचायत उपकर -	निरंक,	निरंक
6. अर्धदण्ड -	निरंक,	निरंक

योग राशि :-2,14,600=00 अक्षरी- दो लाख चौदह हजार छः सौ रूपये मात्र। प्रस्तुत मूल चालान क्रमांक:- 14702191, जे/051471512दिनांक 10.09.2015 को भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा रायपुर में जमा किया गया। प्रकरण में 172 (1) के तहत पुननिर्धारण अनुज्ञा निम्नांकित आरोपित शर्तों के अधीन माना जावे।


- टीप- 1. प्रकरण में धारा 59 (2) के तहत पुननिर्धारण छ.ग. शासन के राजपत्र दिनांक 19.08.2013 प्रकाशित प्रावधानों के अनुरूप किया गया है। इसे अनुज्ञा ना माना जावे।
- आवेदक भवन एवं किसी भी प्रकार से निर्माण हेतु अभिविन्यास अनुमोदित कराके, संयुक्त संचालक, नगर/ग्रामीण निवेश रायपुर से लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग, उद्योग विभाग आदि यथा लागू हो से विधिवत अनुज्ञा प्राप्त करेगे।
 - बिना अनुमति के अन्य प्रयोजनों में उपयोग न किया जावे।
 - बिना अनुमति के उप विभाजन न करे।
 - भूमि स्वामी द्वारा शर्तों के उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।


अपर कलेक्टर
 परिवर्तित शाखा
 रायपुर (छ.ग.)
 रायपुर दिनांक 09.2015

क्र./284/ वाचक/अपर कले./2015

प्रतिलिपि- 1.अनुविभागीय अधिकारी रायपुर/आरंग-अभनपुर को आदेश क्र./क/परि.मु.लि.अ.वि.अ.दिनांक11.02.2013के संदर्भ मे सूचनार्थ।




अपर कलेक्टर
 परिवर्तित शाखा
 रायपुर (छ.ग.)

For, Singhanian Buildcon Pvt. Ltd.


Director

